



षोडश बिहार विधान सभा

त्रयोदश सत्र ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-12.07.2019 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4

- श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, सं०वि०स०
श्री सदानंद सिंह, सं०वि०स०
श्री अवधेश कुमार सिंह, सं०वि०स०
श्री भाई वीरेन्द्र, सं०वि०स०
श्री आलोक कुमार मेहता, सं०वि०स०
श्री मो० नवाज आलम, सं०वि०स०
श्री यदुवंश कुमार यादव, सं०वि०स०
डॉ० अब्दुल गफूर, सं०वि०स०

राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 64,47,392 पेंशनधारियों की संख्या है। केन्द्र सरकार ने 1 अप्रैल, 2016 से पेंशन योजना में आधार, DBT के माध्यम से भुगतान की अनिवार्यता लागू कर दी लेकिन 17,82,282 पेंशनधारियों का आधार कार्ड नहीं बनने के कारण वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 से पेंशन के लाभ से वंचित है। दिनांक-05.01.2018 से कबीर अन्त्योष्टि अनुदान योजना में Pre Paid Card के माध्यम से लाभुकों को भुगतान किया जाना था लेकिन वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य के किसी जिले में राशि का भुगतान नहीं किया गया। मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, कबीर अन्त्योष्टि योजना, कन्या विवाह योजना के लाभ से भी बिहार के 1,20,000 लाभुक 2016-17, 2017-18, 2018-19 से वंचित हैं।

समाज
कल्याण

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धा अवस्था, विधवा, निःशक्तता पेंशन योजना, लक्ष्मी बाई, राज्य सामाजिक सुरक्षा, बिहार निःशक्तता वृद्धजन पेंशन योजना में 400 रू० प्रतिमाह दी जाती है। अन्य राज्य जैसे तमिलनाडु, तेलंगाना में 1000 रू०, हरियाणा में 1800 रू०, आंध्रप्रदेश में 2000 रू० प्रतिमाह पेंशन की राशि दी जाती है।

अतः पेंशन राशि में वृद्धि करते हुए उक्त वंचित लाभुकों को पेंशन योजना का लाभ देने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4

2. श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव,
स०वि०स०
श्री मुद्रिका प्रसाद राय, स०वि०स०
श्री शिवचन्द्र राम, स०वि०स०
श्री सीताराम यादव, स०वि०स०
श्री लाल बाबू राम, स०वि०स०
श्री रामविचार राय, स०वि०स०
श्री ललित कुमार यादव, स०वि०स०
श्री नन्द कुमार राय, स०वि०स०
श्री अश्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव,
स०वि०स०

राज्य में लाखों किसानों को बिहार राज्य फसल सहायता योजना से वंचित कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा विज्ञापन में कहा गया था कि 20 प्रतिशत तक क्षति होने पर 7500 रूपये हेक्टेयर एवं 20 प्रतिशत से अधिक होने पर 10 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर दिया जायेगा। राज्य भर के किसान ऑनलाईन आवेदन भी किये। अब क्राप कटिंग के आधार पर सहायता देने की बात हो रही है जिसकी कोई सूचना किसान को नहीं दी गई है।

अतएव किसानों को राज्य फसल सहायता योजना का लाभ दिलाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।

बटेश्वर नाथ पाण्डेय
सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-17/19- 812 / वि०स०, पटना, दिनांक-] जुलाई, 2019 ई०।

प्रति:- बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / समाज कल्याण विभाग तथा कृषि विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(पांडव कुमार सिंह)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-17/19- 812 / वि०स०, पटना, दिनांक-] जुलाई, 2019 ई०।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित।


(पांडव कुमार सिंह)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।